न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 407 / 2020

निर्णय दिनांक :– 12.08.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. रामदयाल पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहम्ण उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– प्रार्थी–

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र राधेश्याम जाति खटीक निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. बृजेश पुत्र राधेश्याम जाति खटीक निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थी गण संख्या 1 व 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.

प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है। अप्रार्थीगण 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 0.87 है0 वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है तथा खसरा नम्बर 275 रेवेन्यू रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण पूर्व से ही अपनी उक्त आराजीयात पर आम रास्ते से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 275 मे से होकर अप्रार्थीगण 1 व 2 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 274 मे से होकर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी भूमि मे आने जाने का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत पर आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खेतो को काश्त नही कर पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आने जाने हेतु आम रास्ता से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 275 मे से होकर अप्रार्थीगण 1 व 2 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 274 मे से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है जिसमे प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि पर जाकर काश्त कर सके। प्रार्थीगण नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार है। तहसीलदार दूनी को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम दूनी पटवार हल्का दूनी तहसील दूनी पर आने जाने के लिये आम रास्ता से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 275 मे से होकर अप्रार्थीगण 1 व 2 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 274 मे से होकर 20 फीट चोड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:– आवेदन का चरण न0 1 जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। आवेदन का चरण नं. 2 स्वीकार है। आवेदन का चरण नं. 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया हे गलत है, स्वीकार नहीं है, मुलाहेजा हो विशेष आपतियां। आवेदन का चरण नं. 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है। आवेदन का चरण नं. 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। देखिये विशेष आपतियां। आवेदन का चरण नं. 6 व 7 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई अधियाचना बिल्कुल गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि हाल ख. नं. 276 रकबा 0.71 है0 सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में अंकित है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खेत में उक्त रास्ते से होते हुए आते जाते है। अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत ख. नं. 274 में होकर कभी भी प्रार्थीगण आते–जाते नहीं रहे है। हाल ख. नं. 275 सिवायचक है, प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण से रंजिश रखते है इस कारण जानबूझकर अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से यह आवेदन पेश किया है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण का आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 3 तहसीलदार दूनी ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी ग्राम दूनी के आराजी खसरा नम्बर 272 पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहता है। प्रार्थी की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। प्रार्थी को अपनी आराजी तक आने जाने हेतु ख. नं. 274, 275 में से रास्ते की आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते का विवरण इस प्रकार है:– ख. नं. 274 में चौडाई 6.096 मीटर एवं लम्बाई 13 मीटर अर्थात 79 वर्ग मीटर, ख. नं. 275 में चौडाई 6.096 मीटर एवं लम्बाई 24 मीटर अर्थात 146 वर्ग मीटर, कुल क्षैत्रफल 225 वर्ग मीटर होगा, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 1265488/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। दुगुनी प्रतिकर राशि 56950/– रूपये होती है। प्रार्थीगण की आराजी ख. नं. 272 रकबा 1.41 है0 स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण ख. नं. 274, 275 से रास्ता चाहता है, नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, संलग्न कर अभिशंषा के सहित सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को स्वयं की आराजी में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। अत रिपोर्ट अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करवाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने बहस में कथन किया कि मौके पर रास्ता बना हुआ है, प्रार्थीगण उस बने हुए रास्ते से आते जाते है। प्रार्थीगण कभी भी अपने खेत में ख. नं. 274 से आते जाते नहीं रहे है। अतः रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 1266 ख0नं0 272 रकबा 1.41 है0 मे जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने वैकल्पिक रास्ता होने सम्बन्धी संतोषप्रद जवाब व कथन नही किया है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रारता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार ख. नं. 274 में चौडाई 6.096 मीटर एवं लम्बाई 13 मीटर अर्थात 79 वर्ग मीटर, ख. नं. 275 में चौडाई 6.096 मीटर एवं लम्बाई 24 मीटर अर्थात 146 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर के लिए, उक्त भूमि की डी0एल0सी0 दर 1265488/– रू0 प्रति हैक्टेयर है। दुगुनी प्रतिकर राशि 56950/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर रास्ते की तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली